न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या : 131/2018

देवीलाल पिता धन्ना भील निवासी बाघपुरा तहसील बेगूँ

प्रार्थी

बनाम

1. उदा पिता केरिंग भील निवासी बाघपुरा तहसील बेगूँ
2. अमरी पत्नी उदा भील निवासी बाघपुरा तहसील बेगूँ
3. हीरा पिता भगवान भील निवासी बाघपुरा तहसील बेगूँ

अप्राथीगण

उपस्थित : श्री एस.के. बीलू
अभिभाषक प्रार्थी
विजय भारद्वाज
अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 02 दिसम्बर, 2019

आदेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 का प्रार्थी कि ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. बीलू द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

कि प्रार्थी ने एक वादपत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया है जिसके विचारण एवं निस्तारण में समय लगेगा इसलिए शीघ्र न्याय प्राप्ति हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी स्वामित्व की कृषि आराजियात ग्राम बाघपुरा पटवार हल्का बाघपुरा तहसील बेगूँ में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा	लगान
46	459/43	0.2910	1.82
47	500/174	0.1520	0.57
	506/265	0.0480	0.21
	509/262	0.0080	0.11
	511/262	0.0940	2.62
	कुल किता 4	0.3020 हे0	3.50 रू.
48	470/41	0.2430	1.52

दिनांक 02.07.2018 को विपक्षीगण ने मुझ प्रार्थी की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि आराजी में अनाधिकारपुर्वक प्रवेश कर मुझ प्रार्थी को फसल नष्ट कर दी इसी कारण मुझ प्रार्थी को वादपत्र मय प्रार्थना–पत्र न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। विपक्षीगण जबरन अनाधिकारपूर्वक मुझ प्रार्थी को कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि आराजी में प्रवेश नही करे न ही मुझ प्रार्थी की फसल, पत्थरकोट आदि को नुकसान न तो स्वयं पहुचावे न ही किसी अन्य से करावे इस हेतु विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाने हेतु प्रार्थना–पत्र न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत है। विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो विपाक्षीगण जबरन अनाधिकृत रूप से मेरी जमीन में प्रवेश कर नुकसान पहुचाऐंगे तथा मुझ प्रार्थी को भारी आर्थिक नुकसान होगा जिसका मूल्यांकन संभव नही होगा। प्रार्थना–पत्र वर्णित भूमि मुझ प्रार्थी के खातेदारी स्वामित्व की होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण मुझ प्रार्थी के पक्ष में साबित है वही प्रार्थना–पत्र वर्णित कृषि भूमि मुझ प्रार्थी के निरंतर कब्जाकाश्त में होने से सुविधा का संतुलन भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजय भारद्वाज द्वारा मूल वाद मे अधिकार प्रस्तुत करते हुये जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसके मुख्य बिन्दु इस प्रकार है– दिनांक 02.07.2018 को प्रार्थी की हम विपक्षीगण से कोई बात ही नही हुइ और ना ही प्रार्थी की आराजीयात में कोई फसल खडी थी, जिसको नष्ट करने का

Scanned by CamScanner

प्रश्न ही नही उत्पन्न होता है। प्रार्थी ने मनगढंत तथ्य आधारित वाद एवं प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो अवश्य ही खारिज काबील है। विपक्षीगण वाद वर्णित कृषि आराजीयात पर विभाजन से पूर्व ही सहखातेदार के रूप में आ–जा रहे है तथा विभाजन के बाद प्रार्थी व विपक्षीगण अपने–अपने कृषि आराजीयात पर स्वतंत्र रूप से काबीज होकर शांति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी व विपक्षीगण अपने–अपने निहित हिस्सा आराजीयात पर स्वतंत्र रूप से काबीज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा आराजी जैर बहस पर विभाजन से पूर्व से ही विपक्षीगण एक दुसरे की कृषि आराजीयात पर आत जाते रहे है। केवल राजस्व रेकार्ड में विभाजन होने के आधार पर विपक्षीगण को आने जाने से नही रोका जा सकता है वही विपक्षीगण ने कभी प्रार्थी की आराजी में दखलअंदाजी नही की और ना ही किसी प्रकार का नुकसान किया है क्योकि प्रार्थी व विपक्षीगण पडासी खातेदार होने से स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी आराजी पर शांति पूर्वक काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी का पृथम दृष्टया प्रकरण साबित नही है और ना ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–प त्र खारिज होने योग्य है।

पत्रावली में जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। उभयपक्ष बहस में उपस्थित आए तथा बहस की गई।

हमने विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया । सम्पूर्ण पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया । हमने प्रार्थी द्वारा पेश की गयी जमाबंदी की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया।

प्रार्थी की निजी खातेदारी की भूमि ग्राम बाघपुरा पटवार हल्का बाघपुरा की खाता संख्या 46,47,47 में दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी की निजी खातेदारी भूमि पर प्रवेश का अप्रार्थी को कोई अधिकार नही है।

अस्थाई व्यादेश हेतु तीन शर्ते :–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रार्थी द्वारा न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि एवं स्वामित्व की कृषि आराजियात है। प्रार्थी की स्वामित्व की भूमि जो कि विभाजन द्वारा प्रार्थी के हक हिस्से में दर्ज है। अप्रार्थी को उस भूमि में दखलअंदाजी का कोई अधिकार नही है। अतः अप्रार्थी को विभाजन से कोई आपत्ति थी तो विभाजन डिकी की अपील की जा सकती थी । अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है।
2. अपूरणीय क्षती :– प्रार्थी की निजी स्वामित्व व कब्जे काश्त की भूमि अगर अप्रार्थी द्वारा कोई दखलअंदाजी की जाती है तो इसकी क्षति प्रार्थी को होगी अत : अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है।
3. सुविधा का संतुलन :– सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को इस आशय से वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी मोजा बाघपुरा पटवार हल्का बाघपुरा की खाता संख्या 46 आराजी संख्या 459/43 रकबा 0.2910, खाता संख्या 47 में वर्णित आराजी संख्या 500/174, 506/265, 509/262, 511/262 किता 4 रकबा 0.3020 हे0 तथा खाता संख्या 48 में अंकित आराजी संख्या 470/41 रकबा 0.2430 हे0 भूमि में अप्रार्थी किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करे, न ही किसी अन्य से करावे। यदि कृषि आराजियात में आने जाने का कोई रास्ता है, तो वह निबार्ध रूप से चालू रहे। अगर कोई मार्गाधिकार का रास्ता विभाजन के दौरान रखा गया है तो उसको प्रार्थी –अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की रूकावट नही की जावे। अप्रार्थी–प्रार्थी की स्वामित्व वाली कृषि आराजियात में दखलअंदाजी ना करे।

आदेश आज दिनांक 02.12.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

Scanned by CamScanner